10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

नि० 13875 – II-15

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

श्री ... द्वारा आज दि. 30.11.15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

S.K. Shrivastava
A. 30-11-15

प्रकरण कमांक /2015 पुनरीक्षण

1. श्रीमती रामरती पत्नी स्व0 श्री रतनलाल पाठक
2. राकेश पाठक पुत्र स्व0 श्री रतनलाल पाठक
3. राजेन्द्र पाठक पुत्र स्व0 श्री रतनलाल पाठक समस्त निवासीगण– ग्राम गरौली, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर, म0प्र0 ––– आवेदकगण

बनाम

1. सुरेश कुमार पाठक पुत्र श्री राजाराम पाठक निवासी– ग्राम गरौली, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर, म0प्र0
2. म0प्र0 शासन ––अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 16/09/2015 पारित द्वारा तहसीलदार महोदय तहसील नौगांव जिला छतरपुर, के प्रकरण कमांक 38/अ–3/2014–15 व उनवान सुरेश कुमार पाठक बनाम म0प्र0 शासन आदि ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक...R-3875-II/15...जिला ...छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-1-16	प्रकरण में निगरानीकार पक्ष के विद्वान आधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने गए एवं उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया। निगरानीकार पक्ष के अनुसार पुरुषोत्तम एवं रतनलाल की शामिलाती भूमि के नामान्तरण पंजी पर किए गए बंटवारे की SDO, नौगांव छतरपुर के प्र.क्र. 127/अपील/05-06 में पारित आदेश दि. 13-4-09 से निरस्त किया गया, जिसके बाद मामला अपर आयुक्त के समक्ष लंबित होना बताया गया। SDO के इस आदेश तथा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमो की प्रतियां दी गई। साथ ही तहसीलदार नौगांव के प्र.क्र. 38/अ3/14-15 में पारित आक्षेपित आदेश दि. 16-9-15 की प्रति देते हुए यह कहा गया कि वरिष्ठ न्यायालय में लंबित रहते हुए एवं वरिष्ठ न्यायालय के आदेश की अनदेखी कर, तहसीलदार द्वारा आक्षेपित आदेश को तरमीम स्वीकृत की जाना उचित नहीं है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

होता है कि तहसीलदार के अपेक्षित आदेश द्वारा ग्राम गरोली के खसरा नं. 1971/2, 1973/2 एवं 1974/1 की सुरेश तनय रामाराम के आवेदन पर तरमीम स्वीकृत की गई है। प्रकरण में सुरेश ने रतनलाल या उनके वारिसों (तीनों निगराकार गण) को पक्षकार नहीं बनाया था। इस पर रतनलाल ने दि. 27.3.14 को तह. के समक्ष आपत्ती आवेदन प्रस्तुत कर उसमें खसरा नं. 1580/5, 1581, 1590, 1591/2, 1592/2, 1596/2, 1860/2, 1971/1, 1971/6, 1973/5, 2007/2 को अपना होना बताकर, SDO द्वारा इन भूमियों के संबंध में नामान्तरण पंजी पर हुआ बंटवारा आदेश दि. 13.4.09 से निरस्त हुआ होना लिखा। दि. 13.4.15 को रतनलाल की मृत्यु के बाद निगराकार गण के वारसान आवेदन तहसीलदार को दिया। स्पष्टतः आपत्ती आवेदन में वे खसरे नम्बर नहीं लिखे हैं, जिनके सम्बन्ध में तरमीम हेतु सुरेश ने तहसीलदार के समक्ष आवेदन लगाया था।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3875-II/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	इसके अतिरिक्त निगरानी मेमो में, SDO के आदेश दि. 13-4-09 में, तथा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमो दि. 11-5-09 में खाते क्र. 732, 733 और स.नं. 1971/5 का उल्लेख है किन्तु कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सुरेश द्वारा तरमीम हेतु आवेदित स.नं. 1971/2, 1973/2, 1974/1 उनमें शामिल हैं या नहीं, एवं यदि हैं तो किस प्रकार से शामिल हैं। अभिलेख के साथ जिस खाता क्र. 606 की छायाप्रति दी गई है उसमें सुरेश द्वारा आवेदित सर्वे नम्बर शामिल नहीं हैं।	
	निगराकार पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को ये बिन्दु तर्क की दिनांक को समक्ष में बताए गए, तथा उन्हें दि. 18-12-15 तक का समय इस हेतु दिया गया कि वे अभिलेख के आधार पर न्यायालय का प्रथमदृष्ट्या समाधान इस बात पर कराएं कि तहसीलदार के आक्षेपित आदेश	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	से संबंधित सर्वे नं., निगरानी मेमो, SDO आदेश एवं अपर आयुक्त के प्रकरण में लिखे खाते एवं सर्वे क्रमांकों से संबंधित है।	
	विद्वान अधिवक्ता ने नियत समयसीमा में, एवं आदेश दिनांक तक, इस बिन्दु पर समाधान के लिए न्यायालय को किसी भी प्रकार के अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए।	
	ऐसे में मेरा मानना है कि यदि यह निगरानी ग्राह्य की जाती है तो अनावश्यक न्यायिक वाद एवं प्रक्रिया बढ़ेगी।	
	अतः, अपर्याप्त आधार होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है।	
	प्रकरण समाप्त।	
	पक्षकार सूचित हों।	
	दा. द. हो।	
	(हस्ताक्षर) 12-1-16 (सदस्य)	
M		